राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 282/2023

ज्योति प्रजापति **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. उप आयुक्त एवं शासन उप सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. श्री रामबिलास मीणा, ब्लॉक विकास अधिकारी, शाहबाद, बारां।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 16.01.2023
आदेश की दिनांक : 31.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आशीष कुमार, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में ब्लॉक विकास अधिकारी के पद पर पंचायत समिति हुरडा, भीलवाड़ा में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग से पंचायत समिति हुरडा, भीलवाड़ा किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलार्थी को दिनांक 21.06.2022 (अनुलग्नक–3) द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा, भीलवाड़ा से विकास अधिकारी जिला परिषद् जयपुर बिना प्रशासनिक आवश्यकता के किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण विकास अधिकारी पंचायत समिति शाहबाद, बारां से विकास अधिकारी पंचायत समिति हुरडा, भीलवाड़ा अपीलार्थी के स्थान पर समंजित (Accommdate) करने के आशय से किया गया है। अपीलार्थी का अल्पावधि में स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी के 4 वर्ष का छोटा बच्चा है, जिसने हुरड़ा ब्लॉक के स्कूल में प्रवेश लिया है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण हेतु कभी भी

प्रत्यर्थी विभाग को आवेदन नहीं किया। अपीलार्थी को स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल भी अनुमत्त नहीं किया गया है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–5) को अपास्त किया जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 13.01.2023 (अनुलग्नक–5) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। आलोच्य आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा बिना किसी दुर्भावना के जारी किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर अन्य कार्मिक को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

अपीलार्थी ने अपनी अपील में स्थानान्तरण से होने वाली पारिवारिक परेशानियों का उल्लेख किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मध्य प्रदेश राज्य**

बनाम एस.एस.कौरव ((1995) 3 एस.सी.सी. 270) के निर्णय में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> *"This court cannot go into the question of relative hardship. It would be for the administration to consider the facts of a given case and mitigate the real hardship in the interest of good and efficient administration. If there is any such hardship, it would be open to the respondent to make a representation to the Government and it is for the Government to consider and take appropriate decision in that behalf."*

अतः इस संबंध में हमारे मत में स्थानान्तरण के परिणामस्वरूप होने वाली इस तरह की कठिनाइयों के आधार पर स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

अपीलार्थी ने अपील में स्वंय का दूरस्थ स्थानान्तरण किए जाने का अभिकथन भी किया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने **भगवानदास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276** में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"So far as plea that the transfer has been made to a far away place, it cannot be interfered with for the reason that the employee has to work in the State wherever he/she is posted. The plea of posting at a distance from one place to another is immaterial. It does not involve any violation of service Rule."*

अतः इस आधार पर आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)